कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

कमांक 27 अ–82/16–17/भू–अर्जन 8027 बैतूल दिनांक 2 –07–2018

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।

विषयः– ग्राम चिचण्डा तहसील मुलताई के भू–अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

–0–

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्टकरें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0 27 अ–82/2016–17/8027 बैतूल दिनांक 2 –07–2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

2– उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा0) को अग्रेषित सामाजिक समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

3– प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु

5– तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई

प्रकरण कमांक 27अ/82 वर्ष 2016–17 मौजा चिचण्डा दिनांक 14/07/2017

प्ररूप "ख"
(नियम –5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

(1) परियोजना विकास का नाम :– उप मुख्य इंजी(नि.) कार्यालय, अजनी, मध्ये रेल्वे नागपुर–440003

(2) लोक प्रयोजन :– तीसरे रेल्वे लाईन

(3) स्थल :– चिचण्डा

(4) परियोजना का क्षेत्र :– 0.046 हे.

(5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :– हां

(6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :– हां

(7) परियोजना निर्माण के चरण :– प्रथम चरण

(8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शेः– रकबा 0.046 हे.

(9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :– 0.046 हे.

(10) भूमि का मूल्य :– 392000/– प्रति हे.

(11) प्रभावित परिवारों की संख्या
(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)

(12) परिसंत्तियां–

लोक सम्पत्ति– भूमि निरंक भवन निरंक अन्य

निजी सम्पत्ति– भूमि 0.046 हे. भवन निरंक अन्य

(13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
जिनकी भूमि अर्जित हुई–

ग्रामः– चिचण्डा परिवारों की संख्याः–

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए–

ग्रामः– **चिचण्डा** परिवारों की संख्याः– 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

(14) सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरणः– **निरंक।**

(ख) समाघातों की संकेतक सूचीः– **निरंक।**

(15) विकल्प जिन पर विचार किया गयाः–

(क) यदि हां– तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?:– **रेल्वे लाईन के पास से लगई भूमि।**

(ख) यदि नही– तो क्यों ? :– **निरंक।**

(16) निष्कर्षः–

(1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
(2) प्रभावित भूमि के अर्जन कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।
(3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
(4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
(5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
(6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
भू–अर्जन अधिकारी मुलताई
(अध्यक्ष)

श्री मुरारी अग्रवाल
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित
व्यक्ति (सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी
मुलताई (सदस्य)

अधिविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
मुलताई (सदस्य)